तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए
16/5/25	पत्रावली आदेश वास्ते पेश हुई। वादी द्वारा वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वादीगण के पिता का वर्ष 2020 में स्वर्गवास हो गया है। वादीगण की माता श्रीमती सुन्दर बाई आयु 31 वर्ष पत्नी ओंकार लाल जी जाति कुशवाह निवासी चिल्ड्रन स्कूल के पास वार्ड नम्बर 30 इन्द्रागांधी नगर कोटा ने खातेदार सुरेन्द्र गोचर पुत्र कन्हैयालाल जाति गुर्जर निवासी मन्दिर वाला रास्ता चडीन्दा खेड़ा रसूलपुर तहसील लाडपुरा जिला कोटा से ग्राम खेड़ा पटवार हल्का खेड़ा भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र रायपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा स्थित आराजी ख0नं0 882/277 रकबा 0.64 है0 मे से 0.32 है0 पश्चिमि दिशा वाली आराजी को पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 03.05.2024 को खरीद कर कब्जा प्राप्त किया तथा वादीगण की माता एक मात्र खातेदार उपयोग व उपभोग करने लगी। वादीगण की माता सुन्दर बाई का पंजीकृत विक्रय पत्र से आराजी खरीद करने के बाद दिनांक 19.05.2024 को अचानक स्वर्गवास हो गया जिसके एक मात्र वारिस एवं उत्तराधिकारी वादीगण है। अतः वाद वादीगण प्रतिवादी के विरूद्ध डिक्री फरमाया जाकर वादीगण की मां द्वारा खरीद की गयी ग्राम खेड़ा पटवार हल्का खेड़ा भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र रायपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा स्थित आराजी खसरा नं0 882/277 रकबा 0.64 है0 मे से 0.32 है0 पश्चिमी दिशा वाली आराजी को पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 03.05.2024 के आधार पर आराजी का खातेदार घोषित कर पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर वादीगण की मां का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे। अन्य न्यायोचित सहायता भी वादीगण को दिलवाये जाने के आदेश प्रदान करे। प्रस्तुत वादपत्र का अवलोकन किया गया। आवेदक रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर राजस्व रिकॉर्ड में अमल चाहता है। विक्रय पत्र तथा तहसील द्वारा प्रस्तुत प्रतिउत्तर का अवलोकन किया गया। वाद में एकमात्र निर्धारित किए जाने वाला बिन्दु यह है कि क्या आवेदक राजस्व रिकॉर्ड में अमल की पात्रता रखता है तथा प्रश्नगत भूमि आवेदक के खाते दर्ज की जानी चाहिए। उक्त तथ्य को प्रमाणित करने का भार भी प्रार्थी पर है। प्रार्थी द्वारा वाद प्रस्तुत करने के साथ ही कथन किया गया कि प्रश्नगत आराजी वाके ग्राम खेड़ा वादी द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से क्रय की गई है। उक्त विक्रय के पेटे समस्त निर्धारित राशि का भुगतान भी उसके द्वारा किया जा चुका है। तथा प्रश्नगत आराजी का कब्जा भी उसके द्वारा प्राप्त किया जा चुका है। विक्रय पत्र में स्पष्टतया क्रय किए गए भू–भाग का हिस्से में भी उल्लेख किया गया है। प्रार्थी के अनुसार तहसीलदार लाडपुरा द्वारा केवल इस आधार पर इन्तकाल दर्ज नहीं किया जा रहा है कि ऑनलाइन साफ्टवेयर में तरमीम का ऑप्शन नहीं आने के कारण तरमीम नहीं की जा सकती तथा इसी कारण इन्तकाल दर्ज नहीं किया जा सकता। प्रार्थी का आगे कथन है कि यदि सरकार के साफ्टवेयर में कोई कमी है, तो उसके लिए प्रार्थी को प्रताड़ित नहीं किया जा सकता। उपस्थित अभिभाषक द्वारा आगे वर्णित किया गया कि तरमीम का ऑप्शन पटवारी की आईडी पर तो उपलब्ध नहीं है, लेकिन एलआरसी की आईडी पर उपलब्ध है, अतः यदि न्यायालय आदेश दे तो टीडीआर व एलआरसी की आईडी से तरमीम की जा सकती है तथा इन्तकाल भी दर्ज किया जा सकता है। तहसीलदार लाडपुरा द्वारा प्रस्तुत प्रतिउत्तर का अध्ययन किया गया। तहसील द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार वर्तमान में नामान्तरकण कम्प्यूटर द्वारा ऑनलाईन दर्ज किए जा रहे हैं, साथ ही ई–पंजीयन	

सॉफ्टवेयर पर विक्रय पत्र के नामा0 स्वतः स्वीकृत नामा0 दर्ज किए जा रहे है तथा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत संलग्न सेल डीड के अनुसार प्रार्थी के द्वारा ग्राम खेड़ा पटवार हल्का खेड़ा भू.अ.नि.वृत रायपुरा कोटा मे स्थित कृषि भूमि खसरा नं0 882/277 रकबा 0.64 है0 मे से रकबा 0.32 है0 (पश्चिमी दिशा) दिनांक 03.05.2024 को क्रय की है। उक्त नामान्तकरण दर्ज करने मे कोई तकनीकी समस्या नही है। प्रार्थी के तथ्य निराधार है। खसरा विभाजन एवं तरमीम राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 मे वर्णित है। अतः केवल मात्र विक्रय पत्र के आधार पर विभाजन किया जाना न्याय संगत एवं विधि सम्मत नही है।

स्पष्टतया ई पंजीयन सॉफ्टवेयर से उक्त नामान्तरकरण दर्ज नही हो पाया है। सॉफ्टवेयर की किसी कमी या त्रुटि के लिए प्रार्थी प्रताडित नही हो सकता।

उक्त परिस्थितियो मे वाद का एकमात्र निर्धारक बिन्दु वादी के पक्ष मे तय किया जाता है तथा आदेश दिए जाते है कि विक्रयपत्र दिनांक 03.05.2024 द्वारा क्रेता श्रीमती सुन्दर बाई पत्नि श्री औंकार लाल जाति कुशवाह को विक्रय की गई ग्राम खेड़ा पटवार हल्का खेड़ा भू.अ.नि.वृत रायपुरा कोटा मे स्थित कृषि भूमि खसरा नं0 882/277 रकबा 0.64 है0 मे से रकबा 0.32 है0 पश्चिमी दिशा भू–भाग को क्रेता श्रीमती सुन्दर बाई पत्नि श्री औंकार लाल जाति कुशवाह के खाते दर्ज किया जावे तथा विक्रय पत्र अनुसार खसरा नंबर मे आवश्यक तरमीम की जावे।

निर्णय की प्रति पालना हेतु तहसीलदार लाडपुरा को प्रेषित की जावे।

उक्त निर्णय आज दिनांक 16/5/25 को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।